REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241286 CG-DL-E-22122022-241286

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5763]नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944No. 5763]NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6004(अ).—यतः, मै. केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने केरल राज्य में ग्राम पुरक्कड़, तालुक अम्बाल्प्पुज्हा, जिला अलप्पुझा में सूचना प्रौद्योगिकी एंव सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चातु उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2947 (अ) दिनांक 18 नवम्बर, 2009 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 13.4415 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 13.4415 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है,

और यतः, केरल सरकार ने उनके पत्र सं. आईटी–ए2/125/2020-आईटीडी दिनांक 09 अप्रैल, 2021 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है; और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 13.4415 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की हैl डीनोटीफिकेशन के बाद उपरोक्त क्षेत्र में कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना के लिए वन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए जमीन राजस्व विभाग को वापस कर दी जाएगी;

अत: अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. फ.1/106/2008-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

S.O. 6004(E).—WHEREAS, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Village Purakkad, Taluk Ambalappuzha, District Alappuzha in the State of Kerala;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, notified an area of 13.4415 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 2947 (E) dated 18th November, 2009;

AND, WHEREAS, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Limited has now proposed to de-notify entire area of 13.4415 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. IT-A2/125/2020-ITD dated 09th April, 2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 13.4415 Hectares of the Special Economic Zone. After the de-notification, the land will be returned to the Revenue Department in order to get it available to Forest Department for establishment of community reserve in the above area;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/106/2008-SEZ] VIPUL BANSAL, Jt. Secy.